न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रकाश चन्द पवन
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
16/अपील/2014	05.05.2014	30.03.2017

1. श्रीमती कैलाशी बाई बेवा प्रभू उर्फ प्रभू लाल जाति मोग्या निवासी ग्राम केथूदा तहसील नैनवां।
2. ओम प्रकाश आ0 स्वर्गीय प्रभू उर्फ प्रभू लाल जाति मोग्या निवासी ग्राम केथूदा तहसील नैनवां।
3. मांगी बाई आ0 स्वर्गीय प्रभू उर्फ प्रभू लाल जाति मोग्या निवासी ग्राम केथूदा तहसील नैनवां।
4. काली बाई पुत्री स्वर्गीय प्रभू उर्फ प्रभू लाल जाति मोग्या निवासी ग्राम केथूदा तहसील नैनवां।
5. फोरन्ती बाई पुत्री स्वर्गीय प्रभू उर्फ प्रभू लाल जाति मोग्या निवासी ग्राम केथूदा तहसील नैनवां।

–अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम,
विरूद्व नामान्तकरण सं0 613 दिनांक 04.08.1995
ग्राम केथूदा तहसील नैनवां।

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से – श्री नवेद केसर, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोपकार सरकार।

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार नैनवां द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 613 दिनांक 04.08.1995 ग्राम केथूदा तहसील नैनवां से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रभू आ0 श्योकरण जाति मोग्या के गैर खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम केथूदा की भूमि खसरा नम्बर 126/1383 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 128/1384 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 08 बीघा अपीलान्ट के पिता प्रभू उर्फ प्रभू लाल आ0 श्योकरण जाति मोग्या को दिनांक 13.11.1975 को आवंटित हुई थी तथा आवंटी को मौके पर कब्जा सम्भलाया गया था। आवंटी का स्वर्गवास होने के पश्चात अपीलान्ट आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नैनवां ने अपीलाधीन नामान्तरकरण से उक्त भूमि विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि पर काबिज होकर कास्त करते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानकर भूमि को सिवायचक दर्ज करने का जो नामान्तरकरण पारित किया गया है वह गैर कानूनी एवं विधि विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटी को खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट को खातेदारी स्वीकृत करने के बजाय विवादित भूमि सिवायचक दर्ज की गई है, जो गलत तरीके से दर्ज की गई है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर उक्त विवादित भूमि को अपीलान्ट के नाम गैर खातेदार, खातेदारी दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

पेरोपकार सरकार ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित एवं न्याय संगत है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी की मृत्यु हो चुकी है। आवंटी के वारिसान अपीलान्ट है जिनका भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 613 दिनांक 05.08.1995 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नैनवां द्वारा भूमि खसरा नम्बर 126/1383 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा खसरा संख्या 128/1384 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 08 बीघा का अपीलान्ट के पिता के गैर खातेदार से सिवायचक का दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम 15 में अपीलान्ट का कब्जा नहीं होने का अंकन किया गया है। जिसका कोई आधार नहीं है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। आवंटी की मृत्यु का भी कोई जिक्र नहीं किया

गया है कि आवंटी की मृत्यु हुई है या नहीं। अपीलान्ट ने अपील के साथ आवंटन आदेश व कब्जा देने की प्रतिलिपि पेश की गई है। जिसके अनुसार अपीलान्ट के पिता प्रभू आ0 श्योकरण जाति मोग्या को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.11.1975 को उक्त भूमि का आवंटन किया जाकर आवंटी को कब्जा सम्भलाया गया है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटी स्वतः ही खातेदारी प्राप्त करने का हकदार हो जाता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तरकरण से दिनांक 04.08.1995 को 25 वर्ष बाद आवंटी व उसके वारिसान का कब्जा नहीं मानकर अपीलान्ट को सुनवाई नहीं करते हुये तथा रेकार्ड पर कोई साक्ष्य व दस्तावेज लिये बिना ही अपीलान्ट को गैर खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। कब्जा नहीं होने के आधार पर व आवंटन खारिज सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को भूमि को गैर खातेदारी समाप्त करने का अधिकार नहीं है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् आवंटी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार दिया जाना चाहिये था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 613 दिनांक 04.08.1995 निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट को उक्त विवादित भूमि का गैर खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (नैनवां) को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जॉच कर नियमानुसार खातेदारी का नामान्तरकरण पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चंद पवन)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बून्दी (राज0)